पत्र सं०–08 / ज०सं०(नि०) ग्रा०–15 / 2007 :–

झारखण्ड सरकार
जल संसाधन विभाग
आदेश

नगर विकास विभाग, झारखण्ड के पत्रांक– 1126 दिनांक– 06.05.2009 द्वारा श्री राम कुमार सिंह, तत्कालीन सहायक अभियंता–सह– प्रभारी नगर निवेशक, राँची, क्षेत्रीय विकास प्राधिकार, राँची के विरूद्ध प्रपत्र 'क' में निम्नलिखित आरोप गठित करते हुए विभागीय कार्यवाही प्रारम्भ करने हेतु अनुशंसा की गई –

I. राँची क्षेत्रीय विकास प्राधिकार, राँची के पदस्थापन अवधि में श्री राम कुमार सिंह द्वारा पब्लिक ओपेन स्पेश में आवासीय क्षेत्र का प्रमाण–पत्र देकर गलत तरीके से भवन प्लान की स्वीकृति दी गई।

II. जिला गजट का हवाला देकर घोषित पब्लिक ओपेन स्पेश को आवासीय क्षेत्र में नक्शा की स्वीकृति दी गई।

III. भवन प्लान की स्वीकृति के बावजूद नगर निवेश द्वारा हस्ताक्षर नहीं किये जाने के कारण नक्शा निर्गत नहीं किया गया।

IV आवेदक का हस्ताक्षर के बिना ही भवन प्लान सं०–185 / 06 झारखण्ड हाऊसिंग बोर्ड के नक्शे की स्वीकृति दी गई।

V भवन प्लान सं०–72 / 06 में सड़क की चौड़ाई कम रहने के बावजूद भी नगर निवेशक के द्वारा स्वीकृति के लिए अनुशंसा की गई।

VI अनाधिकृत रूप से मकान एवं बहुमंजिली इमारत क निर्माण में सहयोग प्रदान किया गया।

VII नगर निवेशक के पद का दुरूपयोग किया गया एवं तथ्यों को छुपाया गया।

VIII आवासीय / व्यवसायिक भवनों के निर्माण में सुरक्षा एवं अन्य कमियों को नजर अंदाज किया गया।

2. उक्त आरोपों की जाँच हेतु विभागीय संकल्प ज्ञापांक– 2340 दिनांक– 01.07.2009 द्वारा सिविल सेवाएँ (वर्गीकरण, नियंत्रण एवं अपील) नियमावली के नियम– 55 के तहत् विभागीय कार्यवाही संचालित की गई।

3. संचालन पदाधिकारी के स्थानान्तरण / सेवानिवृत हो जाने के कारण विभागीय संकल्प ज्ञापांक– 4254 दिनांक– 03.11.2009 एवं विभागीय संकल्प ज्ञापांक– 859 दिनांक– 25.03.2010 द्वारा नये संचालन पदाधिकारी की नियुक्ति करते हुए श्री सिंह के विरूद्ध संचालित विभागीय कार्यवाही को जारी रखा गया।

4. उक्त संचालित विभागीय कार्यवाही का जाँच प्रतिवेदन संचालन पदाधिकारी द्वारा समर्पित किया गया जिसमें उक्त कतिपय आरोप संख्या– II के संदर्भ में श्री राम कुमार सिंह द्वारा समर्पित बचाव बयान में कहा गया है कि महायोजना के अनुसार भूमि उपयोगिता प्रमाण पत्र कनीय अभियंता के स्तर से दिया जाता है। उक्त उपयोगिता प्रमाण पत्र नगर निवेशक के स्तर से नहीं दिया जाता है।

संचालन पदाधिकारी द्वारा इस संबंध में प्रतिवेदित किया गया कि महायोजना अनुसार भूमि उपयोगिता प्रमाण पत्र देने हेतु सक्षम पदाधिकारी कनीय अभियंता होते है या नगर निवेशक इसकी पुष्टि राँची क्षेत्रीय विकास प्राधिकार राँची से कराते हुए उक्त आरोप पर विभाग द्वारा निर्णय लिया जा सकता है।

5. उपर्युक्त बिन्दु पर राँची क्षेत्रीय विकास प्राधिकार, राँची से सूचना प्राप्त की गई एवं प्राधिकार के पत्रांक– 605 दिनांक– 20.06.2011 द्वारा सूचित किया गया कि महायोजना से संबंधित भूमि उपयोगिता प्रमाण पत्र हेतु आवेदन को कनीय अभियंता द्वारा विहित प्रपत्र में भूमि की जाँच कर जाँच प्रतिवेदन नगर निवेशक के समक्ष उपस्थापित किया जाता है एवं नगर निवेशक के अनुमोदनोपरान्त भूमि उपयोगिता प्रमाण पत्र निर्गत किया जाता है।

6. संचालन पदाधिकारी से प्राप्त जाँच प्रतिवेदन एवं राँची क्षेत्रीय विकास प्राधिकार, राँची से प्राप्त सूचना की समीक्षा विभागीय स्तर पर की गई। सम्यक् समीक्षोपरान्त पाया गया कि श्री राम कुमार सिंह वर्णित आरोप की अवधि में नगर निवेशक के पद पर कार्यरत थे। भूमि उपयोगिता प्रमाण पत्र हेतु आवेदनों को कनीय अभियंता द्वारा भूमि की जाँच कर जाँच प्रतिवेदन उपस्थापित किया गया था तो नगर निवेशक की भी जिम्मेवारी बनती थी कि अनुमोदन के पूर्व इसकी सत्यता की जाँच कर लें। लेकिन नगर निवेशक द्वारा ऐसा नहीं किया गया। इस प्रकार श्री सिंह उक्त आरोप सं०–II जिसमें जिला गजट का हवाला देकर घोषित पब्लिक ओपेन स्पेश को आवासीय क्षेत्र में नक्शा की स्वीकृति दी गई, के लिए दोषी पाये गये।

7. उपर्युक्त प्रमाणित आरोप के लिए श्री सिंह से विभागीय पत्रांक– 3905 दिनांक– 27.07.2015 द्वारा निम्नलिखित दण्ड प्रस्तावित करते हुए द्वितीय कारण पृच्छा की गयी–

(i) निन्दन।
(ii) दो वेतन वृद्धि पर संचयात्मक प्रभाव से रोक।
(iii) पाँच वर्षों तक प्रोन्नति पर रोक।

8. श्री सिंह से प्राप्त द्वितीय कारण पृच्छा के जवाब की समीक्षा विभागीय स्तर पर की गई एवं सम्यक् समीक्षोपरान्त पाया गया कि श्री सिंह द्वारा अपने द्वितीय कारण पृच्छा के जवाब में कोई नया तथ्य या साक्ष्य शामिल नहीं किया गया है, बल्कि संचालन पदाधिकारी के समक्ष प्रस्तुत बचाव बयान को ही दोहराया गया है।

9. अतः श्री सिंह द्वारा समर्पित द्वितीय कारण पृच्छा को अस्वीकृत करते हुए प्रमाणित आरोप के लिए श्री राम कुमार सिंह के विरूद्ध निम्नलिखित दण्ड एतद् द्वारा अधिरोपित करने का निर्णय लिया जाता है :–

(i) निन्दन।
(ii) दो वेतन वृद्धि पर संचयात्मक प्रभाव से रोक।
(iii) भविष्य में दो वर्षों तक प्रोन्नति पर रोक।

10. उक्त प्रस्ताव पर सक्षम प्राधिकार का अनुमोदन प्राप्त है।

ह0/–
(बिन्दु माधव प्रसाद सिंह)
सरकार के संयुक्त सचिव

ज्ञापांक : .....राँची / दिनांक .....

प्रतिलिपि :– सरकार के अवर सचिव, नगर विकास विभाग, झारखण्ड के पत्रांक– 1126 दिनांक– 06.05.2009 के क्रम में / सरकार के अवर सचिव, पंचायती राज एवं NREP विभाग, झारखण्ड / श्री राम कुमार सिंह, सहायक अभियंता (चालू प्रभार) पंचायती राज एवं एन०आर०डी०पी० (विशेष प्रमण्डल) विभाग को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

ह0 / –
(बिन्दु माधव प्रसाद सिंह)
सरकार के संयुक्त सचिव

ज्ञापांक : 2247 राँची / दिनांक : 15-05-17

प्रतिलिपि :– संयुक्त सचिव(प्र०), जल संसाधन विभाग, झारखण्ड, राँची / वेब मैनेजर, जल संसाधन विभाग, झारखण्ड, राँची को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

15.5.17
(बिन्दु माधव प्रसाद सिंह)
सरकार के संयुक्त सचिव